Rural Studies (RM&D)
Patna University
Semester-3rd

Rural Industries
Course/ Paper Code- Unit-5

कृषि आधारित उद्योगों की समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव

(E-content)

Dr. Shashi Gupta
Assistant Professor (Guest Faculty)
P.G. Department of Rural Studies (RM&D)
Patna University
Mobile No.:9472240600
Email: drsgupta01@gmail.com

कृषि आधारित उद्योगों की समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव

कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। फिर भी ये उद्योग कुछ आधारभूत समस्याओं से ग्रसित हैं जिनके कारण प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इन उद्योगों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है :-

1. कच्चे माल की समस्या- कृषि आधारित उद्योगों के समक्ष विद्यमान सबसे पहली समस्या कच्चे माल की है जो उन्हें उचित समय एवं उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है। समस्या के कई पहलू है जैसे इन उद्योगों द्वारा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदा जाता है जिसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा इन उद्योगों को घटिया माल उपलब्ध कराया जाता है अच्छे किस्म का माल निर्यात करने के साथ ही आयातित कच्चा माल आवंटित नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप जहां एक ओर उत्पादन व्यय बढ़ जाता है, वहीं दुसरी ओर निम्न किस्म का माल निर्मित होता है।

2. वित्त की समस्या- इन उद्योगों के विकास में दूसरी प्रमुख समस्या वित्त की कमी है। इन उद्योगों के लाभ कम तथा अस्थिर होते हैं, अतः ये लाभों के द्वारा पूंजी विस्तार नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही चूंकि इनके पास स्थायी परिसंपत्तियों कम होती है इसलिए ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति का अभाव रहता है। व्यापारिक बैंक भी है असुरक्षित ऋण प्रदान करने से डरते हैं। परिणामस्वरूप उद्यमियों को बनिए, महाजन से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर उद्योग संचालित करना पड़ता है।

3. उत्पादन तकनीकी की समस्या- इन उद्योगों की एक समस्या यह है कि इनमें उत्पादन की तकनीक बहुत पुरानी है। परिणामस्वरूप इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत ऊंची तथा किस्म निम्न श्रेणी की होती है। यद्धपि वर्तमान में वैज्ञानिक उन्नति के फलस्वरुप उत्पादन तकनीक, उपकरणों आदि में अत्यधिक उन्नति हुई है, परंतु अभी तक इस वैज्ञानिक उन्नति का प्रभाव हमारे देश में कृषि आधारित उद्योगों पर नहीं पड़ा है। यहां के उद्यमी पुरानी उत्पादन तकनीक से ही काम चला रहे हैं।

4. विपणन की कठिनाइयां- कृषि आधारित उद्योगों की विपणन समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय के साथ लोगों की रुचियों में परिवर्तन, विज्ञापन और प्रचार के सीमित साधन, वृहद उद्योगों की अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता इत्यादि के कारण इन उद्योगों को अपने उत्पादन बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

5. बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता- कृषि आधारित उद्योगों की समस्या यह है कि इन्हें बडे उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और उसमें ये अपने आप को असमर्थ पाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में वस्तुएं आधुनिक विधियों द्वारा निर्मित की जाती है। इन्हें अनेक प्रकार की बचत एवं लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ सरकारी संरक्षण भी प्राप्त होता है। परिणामस्वरुप इनके द्वारा

उत्पादित वस्तुओं की किस्म श्रेष्ठ व लागत कम होती है। साथ ही यह उद्योग अपनी वस्तु की बिक्री हेतु इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि उपभोक्ताओं के दिमाग में इनकी वस्तुओं की श्रेष्ठता की बात घर कर जाती है। इस प्रकार कृषि आधारित उद्योगों के लिए इसकी प्रतियोगिता में टिक पाना संभव नहीं हो पाता है।

6. प्रमाणिकता का अभाव- कृषि आधारित उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उनमें एकरूपता का अभाव होता है। अतः प्राथमिकता के अभाव में वस्तुओं की उचित कीमत निश्चित न होने से उनकी संगठित रूप से बिक्री नहीं हो पाती। एकरुपता की कमी के कारण उपभोक्ताओं को भी कठिनाई होती है और उद्यमी भी वस्तुओं के गुण में सुधार नहीं कर पाते।

7.सूचना एवं परामर्श का अभाव- कृषि आधारित उद्योगों को अपने व्यवसाय से संबंधित उचित सूचना समय पर नहीं मिल पाती है। साथ ही इन्हें परामर्श देने वाली संस्थाओं की भी कमी है। परिणामस्वरुप ये उद्योग उन्नति नहीं कर पाते हैं।

8. श्रम एवं कर कानून का दोषपूर्ण होना- भारत में समय श्रम एवं उत्पादन पर लगाए गए कुछ कानून ऐसे हैं जो कि कृषि आधारित उद्योगों पर बृहद उद्योगों के समान ही भार डालते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों को अनेक प्रकार के स्थानीय करों का भी सामना करना पड़ता है परिणाम स्वरुप उनकी लागत बढ़ जाती है जिसका बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। करों के संबंध में भी संपूर्ण देश में एक नीति का पालन नहीं किया जाता है।

9. कृषि आधारित उद्योगों में रुग्णता- कृषि आधारित उद्योगों के सामने एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर समस्या रुग्णता की है। मार्च 2004 के अंत में देश में 3.1 लाख कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयां रुग्णता की शिकार थी। इनमें सर्वाधिक इकाइयां बिहार में एवं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में थी।

10. सरकारी संस्थाओं का नौकरशाही रवैया- सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु जो संस्थाएं स्थापित की है उनका रवैया पूर्णत: नौकरशाही का है। नवीन उद्यमियों को कोई भी कार्य करवाने के लिए इन संस्थाओं के अनेक चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर भी उनका कार्य ईमानदारी के साथ नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप नवीन उद्यमी परेशान हो कर उद्योग स्थापित करने का विचार त्याग देते हैं।

11. प्रबंध क्षमता की समस्या- हमारे देश में स्थापित अधिकांश कृषि आधारित उद्योगों के स्वामियों (प्रबंधकों) को प्रबंध एवं संगठन का सामान्य ज्ञान भी नहीं है। वे न तो अपने कार्य की समुचित योजना तैयार करते हैं और न ही उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। ऐसे में इन उद्योगों की सफलता की आशा करना व्यर्थ है।

12. अन्य समस्याएं- उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों को अनेक अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उद्योगों के मध्य आपसी संगठन का अभाव, परिवहन

साधनों की कमी, सस्ती चालन शक्ति की अपर्याप्तता, निर्यात की अपेक्षा, अनुसंधान की कमी आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो इनके कुशल संचालन एवं विकास में बाधक है।

कृषि आधारित उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव यद्यपि देश की केंद्रीय एवं राज्य सरकारें कृषि आधारित उद्योगों की समस्याओं की ओर ध्यान दे रही है लेकिन फिर भी भावी विकास की दृष्टि से अग्रलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।

1. कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करना- कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हेतू विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि सरकार ने इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था की है किंतु यह व्यवस्था प्रभावी नहीं बन पाई है। अतः सर्वप्रथम इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। साथ ही एक बफर स्टॉक तैयार करना चाहिए, ताकि कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो सके। आयात की सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

2. वित्तीय सुविधाएं- कृषि आधारित उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी की जरूरत पड़ती है। परिणामस्वरूप बहुत कम उद्योग इन ऋणों का लाभ उठा पाते हैं। अतः इन बैंकों को कृषि आधारित उद्योगों की संभावित साख शक्ति के अनुसार ऋण देना चाहिए। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं को भी अधिक उदारता शर्तों पर इन उद्योगों को ऋण प्रदान करना चाहिए।

3. उत्पादन तकनीक में सुधार- भविष्य में इन उद्योगों की उत्पादन तकनीक में सुधार के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी ये उद्योग बृहद उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना करते हुए उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान कर सकेंगे। इस दृष्टि से सरकार को या व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक कृषि आधारित उद्योग इकाई अपनी वार्षिक आय का 10 प्रतिशत एक विशेष कोष में हस्तांतरित करें और इसका उपयोग आधुनिकीकरण कार्यक्रम में करें। साथ ही यह कर मुक्त होना चाहिए।

4. औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना- यह देखने में आया है कि कृषि आधारित उद्योग व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं जिसके कारण इन्हें उत्पादन, विपणन वित्त आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः यदि देश में औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना हो जाए तो इनमें से अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी।

5. बडे एवं कृषि आधारित उद्योगों में समन्वय- जहां तक संभव हो, बडे एवं कृषि आधारित उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कागज उद्योग क्षेत्र मैं लुगदी बनाने का कार्य कृषि आधारित उद्योग क्षेत्र को कागज बनाने का कार्य बडे उद्योग क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए।

6. अनुसंधान कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान- कृषि आधारित उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और वस्तुओं की किस्म में सुधार करने की दृष्टि से अनुसंधान कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. नवीनतम डिजाइन तथा उच्च किस्म की वस्तु- इन उद्योगों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि यह नवीनतम डिजाइन तथा उच्च किस्म की वस्तुएं बनाएं। इस हेतु सरकार वस्तुओं के विभिन्न कोटी व श्रेणी का निर्धारण कर सकती है तथा उन पर सील लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। बशर्ते कि सील केवल उच्च किस्म की वस्तु पर ही लगाई जाए।

8. कृषि आधारित उद्योग प्रदर्शनियां- कृषि आधारित उद्योग प्रदर्शनीयां का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रदर्शनों को केवल बड़े नगरों तक ही सीमित न रखकर देश के विभिन्न भागों में लगाया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता इन उद्योगों के उत्पादन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें।

9. औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था- कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का सहजता से प्रयोग कर सकें। इस हेतु गांवों एवं कस्बों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

10. विपणन संबंधी सुधार- कृषि आधारित उद्योगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या विपणन की आती है। इस दिशाएं सहकारी विपणन को अपनाने में सुधार लाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार को विपणन संगठन भी बनाना चाहिए जो कि कृषि आधारित उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री में मदद करें। देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों का आयोजन भी इस दिशा में उल्लेखनीय है।

11. सलाहकार फर्मों की व्यवस्था- कृषि आधारित उद्योगों के लिए पर्याप्त सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जो इन उद्योगों की स्थापना करने, विकास करने और इनमें लगी मशीनों इत्यादि के संबंध में अपना परामर्श दे सकें।

12. उपयुक्त उद्योगों का चुनाव- देश में तीव्र तथा सही दिशा में औद्योगिकरण हेतु यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम उपयुक्त किस्म के लिए कृषि आधारित उद्योगों को विकास के लिए चुना जाए। इसके अंतर्गत ऐसी उद्योग पर सबसे पहले ध्यान देना होगा जिनमें विकास की अधिक संभावनाएं हैं, जो सक्षम ढंग से उत्पादन कर सकते हैं तथा बड़े उद्योगों के साथ जिनका समन्वय किया जा सकता है

निष्कर्ष उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योगों का देश के आर्थिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं हालांकि इन उद्योगों से संबंधित कई समस्याएं हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है।और इसी बात को ध्यान में रखते

हुए सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही इनके तीव्र विकास हेतु विशेष बल दिया है। यह महसूस किया है कि ये उद्योग बेरोजगारी और गरीबी दूर करने एवं असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) ने भी पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास की संस्तुति की है। देश की प्रथम औद्योगिक नीति, 1948 में भी कृषि आधारित उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। वर्तमान में भी इन उद्योगों की उन्नति एवं विकास हेतु सरकार विभिन्न प्रकार के राजकोषीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक प्रयास कर रही है जिससे आने वाले समय में ये उद्योग अर्थव्यवस्था में अपना देश के देश के आर्थिक उचित स्थान ग्रहण कर देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। पहल में सहायता प्रदान करना है।